UPRN010035202021

न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी०एक्ट)/कानपुर देहात।

सत्र वाद संख्या–841/2021

सरकार .....बनाम.....प्रशान्त कोरी उर्फ प्रशान्त

मु०अ०सं०–485/2020

धारा–376 डी, 342, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता

थाना–घाटमपुर, कानपुर नगर।

दिनांक–10.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त अनुपस्थित।

विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त **प्रशान्त कोरी उर्फ प्रशान्त** के विरूद्ध प्रेषित प्रॉसेस पर आख्या इस आशय की प्राप्त हुई कि अभियुक्त के अंकित पते पर जानकारी की गयी तो अभियुक्त के परिवारीजन ने बताया कि अभियुक्त **प्रशान्त कोरी उर्फ प्रशान्त** की मृत्यु दिनांक–24.02.2024 को हो चुकी है। समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र व ग्राम प्रधान की लिखिक तहरीर संलग्न है।

न्यायालय में परीक्षित साक्षी का० 4144 महेन्द्र सिंह, पैरोकार ने अपने बयान में इस आशय का सशपथ कथन किया है कि अभियुक्त पर जारी NBW का तामीला एस०आई० सदानन्द द्वारा कराया गया। दौरान तामीला जानकारी हुई कि अभियुक्त **प्रशान्त कोरी उर्फ प्रशान्त** की मृत्यु दिनांक–24.02.2024 को हो चुकी है, जिसकी मृत्यु आख्या उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। साक्षी उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को पहचानता है। मृत्यु आख्या को **प्रदर्श C–1** तथा परिवारीजन द्वारा उपलब्ध कराये गये मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति को **प्रदर्श C–2** के रूप में साबित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अभियुक्त **प्रशान्त कोरी उर्फ प्रशान्त** की मृत्यु हो चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य से किसी विपरीत साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त प्रकरण के अभियुक्त **प्रशान्त कोरी उर्फ प्रशान्त** के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(प्रभा नाथ त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०),
रमाबाईनगर (कानपुर देहात)

Digitally signed by PRABHA NATH TRIPATHI
Date: 2026.08.10 16:30:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court